कार्यालय मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड
भदभदा रोड भोपाल

क्रमांक / मप्रपुआ अविन / स्थापना–1 / 265 / 2018   दिनांक 20 फरवरी 2018

आदेश

मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) के ज्ञाप क्रमांक 908 / 134 / 11 / बी–3 / दो दिनांक 3.6.2011 के द्वारा पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, में अतिरिक्त यांत्रिकीय स्टाफ की संविदा नियुक्ति हेतु प्रदत्त अनुमति के परिप्रेक्ष्य में संविदा उपयंत्री (सिविल) की चयन समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रवीण्यता सूची 2018 के अभ्यार्थियों को प्रथमतः 18 माह की संविदा में, उनके द्वारा प्रस्तुत स्वेच्छिक अनुबंध एवम् कार्य करने की सहमति के आधार पर, संभागों के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्य के वास्तविक टर्न ओव्हर के 6% पर्यवेक्षण प्रभार की सीमान्तर्गत, निश्चित मानदेय / पारिश्रमिक रू.28000 / –(अट्ठाईस हजार) प्रतिमाह, भुगतान की शर्त पर, अस्थाई रूप से , संविदा उपयंत्री (सिविल) के संविदा कार्य हेतु समक्ष में दर्शित कार्यस्थल पर अग्रिम आदेश पर्यन्त संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

संविदा नियुक्ति पर यदि अभ्यार्थी यदि एक सप्ताह के अन्दर कार्यस्थल पर उपस्थित होकर निर्धारित प्रारुप में अनुबंध पत्र / जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण–पत्र / निर्धारित प्रारुप में चरित्र सत्यापन अनुप्रमाणन फार्म प्रस्तुत कर प्रभार ग्रहण नही किया जाता, उस स्थिति में यह संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी :–

सक	नाम पिता का नाम एवं पूर्ण पता	प्रवीण्यता सूची	पदस्थापना
01	श्री शुभम श्रीवास्तव पिता श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, जी0एम0 166, दीनदयाल नगर, ग्वालियर म0प्र0 पिन कोड 474020	अनारक्षित–1	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो.विकास निगम संभाग–ग्वालियर क्र.1
02	श्री द्विजेन्द्र सोनी पिता श्री राजकुमार सोनी, 1626–सी / 2ए दरियाबॉद, इलाहाबाद उ0प्र0 पिन कोड 211003	अनारक्षित–2	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो.विकास निगम संभाग–जबलपुर क्र.2
03	श्री राहुल सिंह परमार पिता श्री बृजपाल सिंह परमार, ए–177,बी आनंदनगर बहोड़पुर ग्वालियर म0प्र0 पिनकोड 474012	अनारक्षित–3	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो.विकास निगम संभाग–ग्वालियर क्र.1
04	श्री शुभम पाटीदार पिता श्री राजेन्द्र पाटीदार, 81–एमआईजी, इन्दिरानगर उज्जैन पिन कोड 456001	अपिव से अनारक्षित–4	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो.विकास निगम संभाग–उज्जैन
5	श्री जलदंकी ससीधर पिता श्री रमन्न रेड्डी,वेमुगुन्टा पलम् नायडू पेटा (एम) नैलोर, आन्ध्रप्रदेश पिन कोड 524126	अनारक्षित–5	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो.विकास निगम संभाग–सागर
6	श्री नीलेश कुमार वर्मा पिता श्री सतीश कुमार वर्मा, ग्राम पोस्ट बलुअहिया, वाया मैनाटाड, थाना पुरूषोत्तमपुर, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार पिनकोड 845306	अनारक्षित–6	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो.विकास निगम संभाग–जबलपुर क्र.2
7	कु. रव्यानीता जैन पिता श्री रवीकांत जैन, सी सेक्टर म0नं0 29, कस्तूरबा नगर, भोपाल पिनकार्ड 462023	अनारक्षित महिला–07	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो.विकास निगम संभाग–भोपाल क्र.1

क्रमशः ———(2)

सक	नाम पिता का नाम एवं पूर्ण पता	प्रावीण्यता सूची	पदस्थापना
8	कु. मोहिनी मिश्रा पिता श्री राजेन्द्र कुमार, बंगला नं029 आर्मी रोड, तहसील नौगांव जिला छतरपुर पिन कोड 471201	अनारक्षित महिला–08	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो. विकास निगम संभाग–भोपाल क्र.2
9	श्री कुलदीप लोधी पिता श्री बाबूलाल लोधी, म0नं052 एसबीआई कालोनी, वेगमगंज जिला रायसेन पिनकोड 464881	अन्य पिवर्ग –01	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो. विकास निगम संभाग–भोपाल क्र.3
10	कु0 पलक दहीकर पिता श्री कृष्णकुमार, वार्ड नं04खरगाल मोहल्ला तहसील लॉजी जिला बालाघाट पिनकोड 481222	अन्य पिवर्ग महिला–02	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो. विकास निगम संभाग–बालाघाट
11	श्री महेश अहिरवार पिता श्री बारेलाल, म0नं0 568 ग्राम पोस्ट आफिस दौरिया तहसील नौगांव जिला छतरपुर पिनकोड 471201	अनु.जाति–01	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो. विकास निगम संभाग–सागर
12	कु.दर्शना गढ़वाल पिता श्री रूपनारायण, एच–57, कल्पना नगर रायसेन रोड भोपाल पिन कोड 462022	अनु.जाति महिला–02	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो. विकास निगम संभाग–भोपाल क्र.3
13	कु. संगीता उइके पिता श्री सुरजन सिंह, मुकाम पोस्ट बांगवर्धिया तहसील परासिया जिला छिन्दवाडा पिनकोड 480441	अनु जन जाति—01	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो. विकास निगम तकनीकी शाखा भोपाल
14	श्री इन्द्रपाल सिंह पिता श्री भूरा सिंह, ग्राम लालपुर तहसील पुष्पराजगढ पोस्ट जुहिलावांध जिला अनूपपुर पिनकोड 484886	अनु जन जाति –02	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो. विकास निगम संभाग–जबलपुर क्र.2
15	कु. प्रियंका डाबर पिता श्री कुँवर सिंह, 22/बी, सावंतपुरम कालोनी आशाग्राम रोड वडवानी पिनकोड 451551	अनु जन जाति –03	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो. विकास निगम संभाग–इन्दौर क्र.2
16	कु. कृष्णा घोरमारे पिता श्री लखाराम घोरमारे, ग्राम पोस्ट कालीमाटी तहसील लॉजी जिला बालाघाट पिनकोड 481222	अनु जन जाति महिला–04	म0प्र0पुलिस आवास एवं अधो. विकास निगम संभाग–बालाघाट

संविदा नियुक्ति की शर्ते

01 संविदा नियुक्ति का व्ययभार निर्धारित पर्यवेक्षण प्रभार 6% की सीमान्तर्गत ही भारित होगा।

02 चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण में संविदा नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त पाये जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

03 संविदा उपयंत्री (सिविल) अपना सम्पूर्ण समय कार्पोरेशन के कार्यो के प्रति समर्पित एवं निष्ठावान होकर लगाने के लिए कृतसंकल्पित रहेगा। किसी व्यापार, कारोबार व अन्य जीविका के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में संलग्न नही रहेगा और प्रबंधन से बिना पूर्व अनुज्ञा/अनुमति प्राप्त किए (दुर्घटना के सिवाय) सक्षम चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित नही रहेगा।

क्रमशः ————(3)

04 संविदा उपयंत्री (सिविल) को संविदा अनुबंध अनुसार कम से कम 18 माह तक संविदा नियुक्ति पर कार्य करना बंधनकारी रहेगा। इसके पूर्व में त्याग पत्र देने की स्थिति में कम से कम एक माह पूर्व सूचना अथवा एक माह के मानदेय के बराबर की राशि जमा करने पर संविदा का त्याग किया जा सकेगा । ऐसा न करने पर उक्त अवधि के मानदेय/पारिश्रमिक के बराबर की राशि भू–राजस्व की बकाया की भंति वसूली योग्य होगी।

05 संविदा उपयंत्री (सिविल) को उसके कार्यस्थल से आवश्यकतानुसार अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है एवं कार्यस्थल के मुख्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य रूप से बंधनकारी रहेगा।

06 संविदा उपयंत्री (सिविल) को संविदा अवधि के दौरान पारिश्रमिक की राशि र 28000 (अट्ठाईस हजार मात्र) एकमुश्त भुगतान किया जावेगा। संविदा पद में नियमितीकरण/स्थाईकरण तथा पेंशन उपादान आदि की पात्रता नही होगी और न ही ऐसी किसी प्रकार की मॉग मान्य ही जावेगी ।

07 कर्तव्य के दौरान कार्पोरेशन के हित मे यात्रा करने के लिए शासन के नियमों के अनुरूप न्यूनतम दर पर वास्तविक यात्रा का व्यय प्रतिपूर्ति कार्पोरेशन द्वारा किया जावेगा ।संविदा उपयंत्री (सिविल) कलेण्डर वर्ष मे 13 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिवस ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी किन्तु किसी अन्य प्रकार के अवकाश की मॉग न तो संविदा उपयंत्री (सिविल) द्वारा की जाएगी और न ही कार्पोरेशन देने के लिए बाध्य होगा।

08 संविदा उपयंत्री (सिविल को संविदा अवधि में शासन के कर्मचारियों की भाति अनुशासित रहकर पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से कार्य करना होगा एवं म.प्र.सि.से.आचरण/वर्क मैनुअल एवं कार्पोरेशन मैनुअल मे वर्णित नियमों का पालन बंधनकारी होगा किन्तु इस आधार पर स्थाई नियोजन की पात्रता नही होगी और न ही ऐसी मॉग वैधानिक रूप से स्वीकार्य की जावेगी।

09 संविदा उपयंत्री (सिविल) को किसी प्रकार के अग्रिम की पात्रता नही होगी ।

10. नियमित नियुक्ति एवं पदस्थापना का दावा मान्य नही होगा।

11. संविदा उपयंत्री (विद्युत) द्वारा कार्पोरेशन को जान बूझकर पहुचाई गई क्षति की वसूली करने के लिए कार्पोरेशन भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली करने के लिए अधिकृत रहेगा ।

12. उभय पक्ष मे से किसी एक पक्ष द्वारा संविदा भंग करने की स्थिति में 01 माह पूर्व सूचना अथवा 01 माह के पारिश्रमिक के बराबर की राशि एकमुश्त जमा/भुगतान करने पर संविदा भंग की जा सकगी एवं ऐसा न करने पर भू–राजस्व की बकाया की भांति यह राशि वसूली योग्य होगी किन्तु यदि अभ्यार्थी के द्वारा संविदा नियुक्ति की शर्तो के विपरीत कोई कदाचरण प्रदर्शित किया जाता है तो उसे एक माह की अग्रिम सूचना दी जाकर प्रबंधन द्वारा संविदा निरस्त की जा सकेगी।

20.2.18

(संजय राणा)
अमनि/प्रबंध संचालक
म.प्र.पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम– भोपाल

पृष्ठांकन कमांक/मप्रपुआ अविनि/स्थापना–1/265/18 दिनांक 20 फरवरी 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) मुख्य परियोजना यंत्री मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधो0 विकास निगम भोपाल ।

(2) समस्त अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधो0 विकास निगम भोपाल ।

(3) वित्तीय सलाहकार/मु.ले.अधि., मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधो0 विकास निगम भोपाल ।

कमशः ————(4)

(4) समस्त परियोजना यंत्री मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधो0 विकास निगम की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं समय पर कार्यवाही व्यवहारित कर अद्यतन जानकारी से अवगत कराने हेतु।

(5) कार्यालय अधीक्षक, वास्ते आदेश पंजी।

(6) निज सचिव/निस सहायक/तकनीकी शाखा/स्थापना शाखा/लेखा शाखा ।

(7) सर्व संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजकर सूचित किया जाता है कि समस्त औपचारिकताआ सहित समयावधि के अन्दर नव नियुक्ति पद का प्रभार ग्रहण करें। यदि एक सप्ताह के अन्दर प्रभार ग्रहण नहीं किया जाता तो प्रभार ग्रहण न करने वाले अभ्यार्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाकर प्रतीक्षा सूची के अभ्यार्थियों की नव नियुक्ति पर विचार किया जावेगा।

(8) आदेश पंजी।

20.2.18

(संजय राणा)
अमनि/प्रबंध संचालक
म.प्र.पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम– भोपाल